तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज इस्लामबाबू बनाम राज. सरकार	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली दिनांक 29/05/2024 को पेश हो।	
29/05/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ उच्चैन के द्वारा कार्य स्थगन रखा गया है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनाँक 05/06/2024 को पेश हो।	
05/06/2024	पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा गया है। एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/06/2024 को पेश हो।	
12/06/24	पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/06/2024 को पेश हो।	
19/06/2024	पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 09/07/2024 को पेश हो।	
09/07/2024	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप०। अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज श्यामबाबू बनाम राज. सरकार	नम्बर अहल... हुक्म
	गया। जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र प्राप्ति खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 02/2022

1. श्यामबाबू
2. मनसिंह पुत्रान मूली राम
3. राजकुमार
4. अवधेश
5. भूपेन्द्र पुत्रान सुजान सिंह
6. भारतदेई वेबा सुजानसिंह समस्त जातियान ठाकुर निवासी बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.....प्रार्थीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
.....असल अप्रार्थी।
2. सुल्तान सिंह पुत्र मूलीराम जाति ठाकुर निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
.....तरतीवी अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.ए.।

उपस्थिति

1. श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन।

दिनांकः— 09/07/2024

निर्णय

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजी का पुराना खसरा नम्बर 209 रकवा 6 बीघा 10 विस्वा बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर मे स्थित है जिस आराजी का वर्तमान खसरा नम्बर 483 हाल बन्दोबस्त किया गया है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 209 का सम्पूर्ण रकवा 17 बीघा 11 विस्वा था उक्त आराजी के सहखातेदारान के मध्य आराजी का विभाजन पूर्व में ही राजस्व रिकार्ड में हो चुका था तब प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त आराजी के तरफ पूर्वी दक्षिणी में रकवा 6 वीघा 10 विस्वा प्राप्त हुआ था उसी पूर्व विभाजन के अनुसार आज भी मौके राजस्व रिकार्ड के मुताविक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त आराजी का नया खसरा नम्बर 438 हाल भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सर्वे में दर्ज व अकंन किया गया है लेकिन भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये भू बन्दोवस्त में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी खसरा नम्बर 438 को हाल नक्शा गट्ठा में तरफ पश्चिम में गलत रूप से दर्ज व अकंन कर दिया गया जो

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

कि खिलाफ मौके व कानून के किया है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी खसरा नम्बर 438 का नक्शा गट्ठा में गलत व अशुद्धि के दर्ज होने की जानकारी दिनांक 27.07.2022 को हल्का पटवारी से नकल लेने पर हुई है उक्त आराजी की दिशाओं की गलती व अशुद्धि को दुरस्त कराने के लिये तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया कि हमारी आराजी के खसरा नम्बर 438 को हाल भू बन्दोवस्त के नक्शा गट्ठा तरफ पश्चिम में गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है जो कि मौके व कानून के खिलाफ है जब कि उक्त आराजी पूर्व से ही तरफ पूर्वी दक्षिण में स्थित है जहां पर आज भी मौके पर हमारा डीपबोर व विद्युत कनेक्शन है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने शुद्धि से साफ इन्कार कर दिया इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण पैदा हुआ है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 3.1.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 11.07.2023 को तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि पुरान नक्शा खसरा नम्बर 209 एक बडी आकृति का खसरा नम्बर था जिसमें खातेदार मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे परन्तु वर्तमान बन्दोवस्त की नवीन नक्शे में विभिन्न खसरा नम्बर बनाते हुये मौके से भिन्न तरमीम कर दी गई जोकि सैटिलमेन्ट के समय गलती हुई है एवं जबाव के साथ पुराने एवं नवीन नक्शे की प्रति एवं पटवारी रिपोर्ट पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मूल खसरा नम्बर 209 है जिसका नक्शे गट्ठे में कहीं तरमीम नहीं हुआ। हाल बन्दोवस्त में खसरा नम्बर 209 को 438(नया) प्रदान किया गया है। दौराने सैटलमैन्ट नक्शे मे मुझे पश्चिम दिशा में दिखाया गया है जबकि मौके पर पूर्व दिशा में काबिज हूं जिसमें मेरा विद्युत कनेक्शन व डीपबोर भी है मौके की स्थिति पर पूर्व दिशा में तरमीम करवाई जाए अन्य खसरा नम्बर के खातेदारों को पार्टी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनसे कोई रिलीफ नहीं चाहा गया है मुताबित तहसीलदार रिपोर्ट नक्शे में शुद्धि की जावे। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा अपनी बहस में अपने जबाव को ही रिपीट किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है मेरे विन्रम मत में प्रार्थी द्वारा चाही गई दादरसी धारा 136 एल.आर.ए. के तहत दिया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विष्णु बंसल(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)